भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 959

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

959. श्री रामदास तडस:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों के लिए अब तक क्या कार्य योजना बनाई गई है और इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या यह योजना सूखाग्रस्त और कम वर्षा से प्रभावित जिलों को कवर करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे सभी जिलों को कब तक इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर जल की प्रत्यक्ष पहुँच में वृद्धि और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाना आदि है। यह एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख घटकों का कार्यान्वयन किया जा रहा है नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी के चार उप-घटक हैं, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास घटक। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई में वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भी शामिल है जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक का कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा जो वर्ष 2016-21 के दौरान पीएमकेएसवाई का भी एक घटक था, इसका कार्यान्वयन अब पृथक रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई को जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

पीएमकेएसवाई स्कीम के एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम घटक के तहत जारी दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं नामतः निचली पेढ़ी और निचली वर्धा से महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती जिले लाभान्वित हो रहे हैं। पीएमकेएसवाई के तहत दो परियोजनाओं के लिए 268.22 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जानी है, जिससे 80.25 हजार हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं को जून, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत तीन परियोजनाओं से अमरावती जिले और चार परियोजनाओं से महाराष्ट्र के वर्धा जिले लाभान्वित हो रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिए 293.43 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता निर्धारित की गई है और संरक्षित सिंचाई के तहत 22.23 हजार हेक्टेयर के क्षेत्र को लाए जाने का लक्ष्य है।

(ख) से (ड़): जल राज्य का विषय है, अत: जल संसाधन परियोजनाओं की जिला-वार कार्य योजनाओं की रूप रेखा तैयार करना, इसका कार्यान्वयन और इसके लिए समय सीमा निर्धारित करने सहित इसकी आयोजना, कार्यान्वयन और प्रचालन एवं रखरखाव संबंधित कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत चिन्हित परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन परियोजनाओं को विभिन्न घटकों के दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों, धन की उपलब्धता, योजना के तहत भौगोलिक विस्तार, सरकार की प्राथमिकताओं आदि के आधार पर शामिल किया जाता है। पात्र परियोजनाओं में देश के सूखा प्रवण तथा कम वर्षा से प्रभावित जिलों / क्षेत्रों की परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत पूरे देश में 62 परियोजनाएं सूखा प्रवण क्षेत्रों को शामिल करती है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 15.70 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और इनमें से 31 परियोजनाओं के अब तक पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है, इन 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र में सूखा प्रवण जिलों में 8 वृहद / मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, अमरावती जिले की 2,607.7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 18 एसएमआई परियोजनाओं और वर्धा जिले की 136.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 1 एसएमआई परियोजना को शामिल किया गया है जिससे क्रमशः 22,141 हेक्टेयर और 1,600 हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता सृजित होगी ।

****